न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डॉ.रविन्द्र गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या –50/2017 (अपील)

GCMS No.- 2017/00093

1. हेमराज आत्मज रामरतन जाति माली निवासी ग्राम अर्जुनपुरा, तहसील लाडपुरा, नगर निगम वार्ड नं0 9 कोटा

–अपीलाण्ट.

वनाम

1. देवेन्द्र कुमार आत्मज चन्द्रमोहन
2. चेतन कुमार आत्मज चन्द्रमोहन
3. गोरी शंकर आत्मज चन्द्रमोहन जाती माली निवासीगण ग्राम अर्जुनपुरा, वार्ड नं0 9 कोटा तहसील लाडपुरा कोटा

–रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी इन्तकाल संख्या 601 दिनांक 05.08. 2016 ग्राम अर्जुनपुरा तहसीलदार लाडपुरा ।

उपस्थितः–

1. श्री उत्तमचन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री दयानन्द राठोर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक–20.02.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम अर्जुनपुरा में नामान्तकरण संख्या 601 दिनांक 5.8.2016 में तहसील लाडपुरा का आदेश–" प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र शपथ पत्र, पंजीकृत वसीयत पत्र, स्वअर्जित का प्रमाण मौका पर्चा के आधार पर पटवारी रिपोर्ट एवं जांच आई एल आर के नामान्तकरण स्वीकृत" बाबत आदेश पारित किया गया ।

2. उक्त नामान्तकरण आदेश की अप्रसन्नता में अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है किअपीलान्ट को तहसीलदार लाडपुरा द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही तथा गुपचुप तरीके से वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 601 दिनांक 5.8.2016 स्वीकृत करते हुए रामरतन जी द्वारा निष्पादित तथाकथित वसीयत के आधार पर खसरा नम्बर 253, 254 ,491, 496, 497 व 498 की भूमि का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में स्वीकृत कर दिया तथा शेष भूमि खसरा नं0 263,270,300,557,558,559,562, व 563 का नामान्तकरण अपीलान्ट व चन्द्रमोहन, चतरूबाई, रामधनीबाई, प्रेमसुरजी बाई, सुरेन्द्र, लीलाबाई, राजेश बाई के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण की जरिये सम्मन तलबी की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री दयानन्द राठोर का वकालतनामा पेश हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन नामान्तकरण की भूमि अपीलान्ट के परदादा धन्ना जी के खातें थी, उनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलान्ट के दादा सालगा उर्फ सालिगराम जी के खाते दर्ज की गई तथा सालिगरामजी के स्वर्गवास के पश्चात अपीलान्ट के पिता रामरतन जी के खाते में दर्ज की गई, रामरतन जी पूर्णरूप से कृषक थे विरासत में प्राप्त कृषि भूमि के अतिरिक्त आय का अन्य कोई साधन नहीं था । इस प्रकार वादग्रस्त भूमि रामरतनजी की स्वअर्जित नहीं होकर पुश्तैनी भूमि थी, जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत की बिना जांच किये, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही कथित वसीयत का अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया है, जो प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्त योग्य है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि वसीयत चाहे

जिला कलेक्टर
कोटा

वह पजीकृत हो या अपंजीकृत हो उसके सम्बन्ध में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार साबित किये बिना ही किसी भी प्रकार से ग्रहय नहीं होती है । प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करना अत्यन्त आवश्यक है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुये तथा कानून की पूर्ण रूप से अवहेलना करते हुये नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । स्वर्गीय श्री रामरतन जी गत 10 वर्षो से गम्भीररूप से बीमार थे, उनके सोचने समझने तथा चलने फिरने की क्षमता पूर्णरूप से समाप्त हो चुकी थी वह हमेशा पलंग पर ही रहते थे, परिवारजनों को पहचानने की क्षमता भी उनमें नहीं रही थ । ऐसी अवस्था में रामरतन जी द्वारा दिनांक 18.10.2013 को सोच समझकर स्वेच्छा से वसीयत निष्पादित करना तथा उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर उसका पंजीयन करवाना किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं था । यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को सुना होता तो सारी परिस्थितियां न्यायालय के समक्ष आ जाती, किन्तु षडयन्त्रपूर्ण तरीक से अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही एकतरफा रूप से नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है । अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने एकपक्षीयरूप से पारित किया जाने से अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी दिनांक 20.6.2017 को ख0नं0 253 व 254 की भूमि पर हंकाई जुताई कर रहा था तब रेस्पो0 कुछ व्यक्तियों को लेकर खेत पर आने एवं उनके द्वारा कहने पर की खसरा नं0 491,496,497 व 498 की भूमि रामरतन जी की वसीयत के मुताबिक नामान्तकरण से उनके खाते में दर्ज कर दी गई है । इस पर सम्पूर्ण तहसील कार्यालय में दिनांक 27.6.2017 को होने पर नकल दिनांक 6.7.2017 को प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 601 दिनांक 5.8.2016 आंशिक तौर पर निरस्त किया जाकर खसरा नम्बर 253, 254, 491, 496, 497, 498 की भूमि का रेस्पोडेन्ट के पक्ष में स्वीकृत नामान्तकरण निरस्त किया जावें तथा उक्त खसरा नम्बरान की भूमि का भी नामान्तकरण अपीलान्ट एवं स्व0 रामरतन जी के अन्य प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के पक्ष में स्वीकृत फरमाया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 601 दिनांक 5.08.2016 की अप्रसन्नता में पेश की गई है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, वादग्रस्त भूमि नम्बर 253,254,491,496,497 व 498 रामरतनजी की स्वअर्जित भूमि होने से अपने जीवन काल में ही रेस्पोडेन्टगण अपने पोतों के नाम एक वसीयत आलेखित कर दी गई थी, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय कोटा में हुआ है, तथा रामरतन जी की मृत्यु के बाद रजिस्टर्ड वसीयत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के मुताबिक नामान्तकरण स्वीकृत किया है तथा शेष भूमि जो पैतृक भूमि थी उसका नामान्तकरण अपीलान्ट एवं अन्य विधिक वारिसान के नाम किया गया है इसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है । रेस्पोडेन्टगण के नाम उनकी स्वअर्जित भूमि की वसीयत करने का कारण यह था कि अपीलान्टगण द्वारा रामरतनजी के वृद्वावस्था में उनसे लड़ाई झगड़ा करते थे तथ उनकी सेवा नही करते थे, उनकी सेवा देखभाल रेस्पोडेन्टगण (पोतों) द्वारा की जाने से स्वअर्जित वादग्रस्त भूमि की वसीयत रेस्पोडेन्टगण के नाम आलेखित करवाई गई, जिसका नामान्तकरण विधि अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया । वैसे भी इस वसीयत को शून्य घोषित कराने के लिए अपीलान्ट द्वारा एक वाद माननीय सिविल न्यायालय प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें वसीयत की सत्यता साबित होगी । इस अपील के जरिये नामान्तकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है । वैसे भी यह अपील 11 माह विलम्ब से पेश की गई है, जो मियाद बाहर है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । यह अपील ग्राम अर्जुनपुरा में खातेदार रामरतनजी द्वारा रेस्पोडेन्टगण के हक में आलेखित वसीयत के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 601 दिनांक 5.8.2016 की अप्रसन्नता में लिमिटेशन की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 12.7.2017 को पेश की गई है, जो लगभग 11 माह विलम्ब से पेश की है, लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मे विलम्ब के बताये गये कारणो का न्यायहित में ध्यान रखते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय हेतु लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

7. विद्वान अभिभाषकगण द्वारा अपनी अपनी बहस में प्रस्तुत तर्को एवं पत्रावली के अवलोकन से हम पाते है कि यह नामान्तकरण रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर स्वीकृत किया गया है । अपीलान्ट का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि रामरतनजी की स्वअर्जित नहीं होकर पैतृक भूमि होना बताया है किन्तु यह भूमि पैतृक भूमि थी इसकी पुष्टि में कोई राजस्व रेकार्ड एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है । दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा यह भी कथन किया है कि जिस वसीयत से अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत हुआ है उस वसीयत को शून्य घोषित कराने के लिए माननीय सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है, तो इस नामान्तकरण निरस्त कराने हेतु यह अपील प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है । वैसे भी रजिस्टर्ड वसीयत को जब तक सिविल न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नहीं किया जाता तब तक रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है । प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से अस्वीकार योग्य पाते है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 601 दिनांक 05.08.2016 ग्राम अर्जुनपुरा में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

9. निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा